



Health & Wealth  
We Manage Both

**Alankit** LIMITED

Date: 28/01/2025

To,  
**The General Manager**  
**Department of Corporate Services**  
**BSE Limited**  
P.J. Towers, Dalal Street,  
Mumbai – 400001  
**Scrip Code No. : 531082**

**The National Stock Exchange of India Ltd.**  
Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor,  
C-1, Block G, Bandra – Kurla Complex,  
Bandra (E),  
Mumbai – 400051  
**Symbol. : ALANKIT**

**SUBJECT: NEWSPAPER ADVERTISEMENT ON NOTICE OF TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO IEPF AUTHORITY**

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), read together with Part A of Schedule III thereto, please find enclosed herewith copy of newspaper advertisement for notice to equity shareholders regarding transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority, published by way of advertisements on **28<sup>th</sup> January, 2025, in the Financial Express in English and in Haribhoomi in Hindi.**

This is for your information and records

Thanking you.  
**FOR ALANKIT LIMITED**

**SAKSHI THAPAR**  
**COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER**  
**M. NO. : F10156**

CIN : L74900DL1989PLC036860

Registered Office : 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi -110055, India

Corporate Office : Alankit House, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi -110055, India

Phone : +91-11-4254 1234 / 2354 1234 | Fax : +91-11-2355 2001 | Website : www.alankit.in | email : info@alankit.com, investor@alankit.com

Listed on the National Stock Exchange (NSE) and the Bombay Stock Exchange (BSE)

BCC FUBA INDIA LIMITED. Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter/Nine Months ended December 31, 2024. Table with columns: Particulars, Quarter ended (Dec 2024, Sep 2024, Dec 2023), Nine Months ended (Nov 2024, Dec 2023), Year ended (Mar 2024). Rows include Total Income From Operations, Net Profit/(Loss) for the Period, etc.

GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED. Appendix IV (See Rule 8(1)) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property). Table with columns: Sr. No., Name of Borrowers, Description of Property, Possession taken Date, Date of statutory Demand Notice, Amount in Demand Notice (Rs.).

UMMEED HOUSING FINANCE PVT. LTD. Appendix IV (See Rule 8(1)) POSSESSION NOTICE. Table with columns: S. No., Name and Address of the Borrower, Co-Borrower/Guarantor Loan A/c No. And Loan Amount, Demand Notice Date, Symbolic Possession Date.

INDIA SHELTER FINANCE CORPORATION LTD. POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY. Table with columns: NAME OF THE BORROWER/GUARANTOR, DESCRIPTION OF THE CHARGED / MORTGAGED PROPERTY, DT. OF DEMAND NOTICE, Date of Possession.

PUBLIC NOTICE. ICICI Bank Limited. Branch Office: ICICI Bank Limited, Sahakar Tower Plot No-23, New Rohtak Road, Karol Bagh New Delhi-110005.

ICICI Bank Public Notice Table. Columns: Sr. No., Name of the Borrower/Co-Guarantor, Description of Secured Asset to be enforced, Date of Notice sent/Outstanding as on Date of Notice, NPA Date.

PADAM COTTON YARNS LIMITED. (CIN: L1712HR1997PLC033641). REGD OFFICE: 196, 1st Floor, Opp. Red Cross Bhawan, G.T. Road, Karnal-132001, Haryana.

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION.

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Members of M/s Padam Cotton Yarns Limited will be held on Monday, the 24th Day of February, 2025 at 12:00 p.m. at Registered Office of the Company at 196, 1st Floor, Opp. Red Cross Market, Karnal - 132001 (Haryana).

Punjab National Bank. SASTRA DIVISION, PLOT NO.4, SECTOR-10, DWARKA, NEW DELHI-110075. SHOW CAUSE NOTICE. Date: -30.12.2024. To: M/s Paras Das Jain & Sons Steels Pvt. Ltd. (Borrower), having registered office at 23/39 Lohamandi, Agra-282002, Uttar Pradesh.

ALANKIT LIMITED. (CIN: L74900DL1989PLC036860). Regd. Off. 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055. Website: www.alankit.in. Notice regarding transfer of Equity Shares to the DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund Authority.

These steps are being taken for substituted service of Notice. The above borrower/s and/or guarantor/s (as applicable) is/are advised to make the outstanding payment within 60 days from the date of publishing this Notice. Else, further steps will be taken as per the provisions of the Securitisation and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

### खबर संक्षेप

#### गोलीबारी: चैंपियन को 14 दिन की हिरासत

देहरादून। उत्तराखंड में खानपुर से विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन



के बीच विवाद के बाद गिरफ्तार किए गए। चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। जबकि उमेश को जमानत मिल गई। 40-40 हजार के दो मुचलके भरे गए। प्रभारी संयुक्त निरीक्षक अभियोजन हरिद्वार रिकु वर्मा ने की पुष्टि की है। बता दें कि रविवार को पूर्व विधायक चैंपियन को और से विधायक उमेश के कैप कार्यालय पर गोली चलाने के बाद माहौल गर्मा गया था। हाथ में पिस्टल ले जाते हुए दिखाए गए थे। पुलिस ने किसी तरह उन्हें रोका था। इस मामले में दोनों के समर्थकों में टकराव की स्थिति बन गई थी। जिसके बाद दोनों के कैप कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इस बीच पुलिस चैंपियन को गिरफ्तार करते हुए देहरादून के नेहरू कालोनी थाने में ले गई।

#### 13वीं मंजिल से गिरी बच्ची, बच गई जान

मुंबई। महाराष्ट्र के डोंबिवली के देवीचापाड़ा इलाके में एक चमत्कारिक घटना घटी। रविवार



सुबह 13 मंजिला इमारत से एक दो वर्षीय बच्चा नीचे गिरने लगा, जैसे ही बच्चा गिरने लगा इमारत में रहने वाले भावेश म्हात्रे नाम के एक युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना भाग कर उसकी जान बचा ली। इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना पिछले हफ्ते देवीचापाड़ा इलाके में हुई और बच्चे को केवल मामूली चोट आई। 13वीं मंजिल के फ्लैट की बालकनी में खेलते समय गिर गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, "वह फिसल गई, कुछ देर तक बालकनी के किनारे पर लटक रही और फिर गिर गई।"

#### बुच का कार्यकाल 28 फरवरी को होगा समाप्त

नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को सेबी के चेयरपर्सन की तलाश की



प्रक्रिया शुरू कर दी। यह प्रक्रिया मौजूदा प्रमुख माधवी पुरी बुच के कार्यकाल की समाप्ति से एक महीने पहले शुरू की गई है। बुच हितों के टकराव को लेकर पिछले काफी समय से चर्चा में रही हैं। नियुक्ति पांच साल या उम्मीदवार की आयु 65 वर्ष होने तक के लिए होगी। आवेदन दाखिल करने की अंतिम तारीख 17 फरवरी है। सेबी की भूमिका और महत्व को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार के पास उच्च निष्ठा, प्रतिष्ठा तथा 50 वर्ष से अधिक का अनुभव और 25 वर्ष से अधिक का पेशेवर अनुभव होना चाहिए।

## सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दहेज और घरेलू हिंसा को लेकर हम कुछ भी नहीं कर सकते

एजेंसी नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों में सुधार की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसके लिए समाज को बदलना होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। याचिका में कहा गया था कि मौजूदा दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों का गलत

## चुनाव आयोग ने यमुना के पानी पर मांगी हरियाणा सरकार से रिपोर्ट

हरिभूमि ब्यूरो नई दिल्ली

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के पत्र पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार से देश की राजधानी में आपूर्ति किये जा रहे पानी की गुणवत्ता पर एक विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा सरकार को यह रिपोर्ट मंगलवार दोपहर 12 बजे तक आयोग को देनी है। ज्ञात हो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हरियाणा से आने वाले पानी में अमोनिया के उच्च स्तर की शिकायत चुनाव आयोग से की थी। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने चुनाव आयोग में शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी में आपूर्ति किए जाने वाले पानी में अमोनिया का उच्च स्तर मौजूदा विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना सफाई और हरियाणा से इसमें छोड़ा जा रहा पानी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पिछले कई दिनों से भाजपा नेता चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार को यमुना सफाई में विफल रहने का आरोप लगाते हुए घरे रहे हैं। दूसरी तरफ, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हरियाणा सरकार पर यमुना में दूषित पानी छोड़ने का आरोप लगा रहे हैं।

### खास बातें

- केजरीवाल बोले- हरियाणा सरकार ने यमुना में छोड़ा जहरीला पानी
- मुख्यमंत्री आतिशी और भगवंत मान ने चुनाव आयोग से की शिकायत

# अगर जहरीला पानी दिल्ली आ जाता तो ना जाने कितने लोगों की हो जाती मौत: आप संयोजक

## भाजपा की हरियाणा सरकार ने पानी में जहर मिलाकर मेजा: केजरीवाल



ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। इनकी वजह से एक तिहाई दिल्ली में पीने के पानी की कमी हो गई है। ऐसे तो दो दुश्मन देशों में होता है। उन्होंने कहा कि जहरीला पानी पीलाकर भाजपा दिल्लीवासियों का सामूहिक नरसंहार करना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे।

आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि लोगों को पानी से वंचित करने से बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। भाजपा की हरियाणा की सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला कर छोड़ दिया, भला हो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजिनियरों ने बाईर पर ही पानी रोक दिया और दिल्ली में नहीं आने दिया। केजरीवाल ने कहा कि अगर वे पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता दिल्ली के अंदर

### भाजपा हार के डर से दिल्ली वालों को प्यासा नारना चाहती

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि चुनाव में हार के डर से भाजपा दिल्ली वालों को प्यासा नारना चाहती है। भाजपा अपनी हरियाणा सरकार से यमुना नदी में जहरीला पानी छोड़वा रही है। पानी में इतना अमोनिया है कि दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 30 प्रतिशत लोगों को पानी नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म में पानी रोकने से बड़ा कोई पाप नहीं होता। दिल्ली के लोग भाजपा वालों को इस पाप का जवाब 5 फरवरी को देंगे।

## हिमाचल में यूसीसी पर जुबानी जंग!

# जयराम की 'गुगली' पर धर्माणी ने किया पलटवार, रजवी बोले- कोई दिक्कत नहीं

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, तो हिमाचल, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन जाता। जयराम ठाकुर की इस सियासी गुगली ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नेतृत्व वाली सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राज्य धर्माणी ने भाजपा पर टुट्टीकरण का आरोप लगा दिया।

### उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ और हिमाचल में सियासी उबाल आ गया

एजेंसी शिमला

हिमाचल प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी जंग की शुरुआत हो चुकी है। राज्य में सियासत उबाल देखा जाने लगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, तो हिमाचल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला दूसरा राज्य बन जाता।

### शिक्षा मंत्री ने भाजपा पर लगाया टुट्टीकरण का आरोप



जयराम ठाकुर पर धर्माणी का पलटवार : हिमाचल प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री राज्य धर्माणी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सुनने के लिए तो अच्छा लगता है और लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के रीति रिवाज भी अलग हैं। हर हिंदू धर्म में भी क्षेत्र के मुताबिक रीति रिवाज बदल जाते हैं। देश में उत्तर और दक्षिण में भी रीति-रिवाज अलग हैं। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड जायदहारिक नहीं है।

### यूसीसी व्यवहारिक नहीं है: धर्माणी

राजेश धर्माणी ने कहा कि अगर हम हिमाचल प्रदेश के संबंध में ही बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में भी रीति रिवाज अलग-अलग हैं। हर जिले के रीति रिवाज भी अलग हो जाते हैं। शिमला में ही एक इलाके में रिवाज अलग होते हैं, जबकि दूसरे इलाके के रिवाज बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश की अनेकता ही यहां की ताकत है। धर्माणी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अल्पसंख्यक समूहों पर टारगेट के लिए होती है। धर्माणी ने कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड संभव नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।

### यूसीसी पर अमल करने में भी कोई ऐतराज नहीं: रजवी



बरेली। मुसलमान कानून पर अमल करता है और सम्मान करता है, यूसीसी पर अमल करने में भी कोई ऐतराज नहीं है। आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बयान में कहा कि उत्तराखंड में लागू यूसीसी का अगर शरीयत से कोई टकराव नहीं हो और शरीयत के उद्देश्यों के खिलाफ नहीं है तो मुसलमान यूसीसी पर अमल करेंगे। अगर शरीयत के खिलाफ या टकराव की स्थिति है तो मुसलमान यूसीसी पर अमल करने पर बाध्य और मजबूर नहीं हैं। मौलाना ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह धामी को सभी समुदायों से राय लेनी चाहिए थी। धामी की ओर से बनाई गई कमेटी ने सभी समुदाय से राय मशविरा नहीं लिया। खास तौर पर मुसलमानों से दूरी बनाए रखी गई, इसलिए वे फैसला एकतरफा है।

## सबसे ज्यादा दामगी आप से, पांच अरबपतियों में तीन भाजपा के

एजेंसी नई दिल्ली

इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में इनमें सुधार किए जाने चाहिए। बीते दिनों बंगलुरु में एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी। इंजीनियर ने अपनी पत्नी पर कानूनी तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था और इंजीनियर ने कानून में कथित खामियों का भी आरोप लगाया था। इंजीनियर की आत्महत्या के बाद समाज में देहज और घरेलू

हिंसा कानूनों के गलत इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ गई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कानूनों में सुधार की मांग की गई। याचिका वकील विशाल तिवारी ने दायर की थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों, वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों की सदस्यता वाली एक समिति बनाने की मांग की गई थी, जो मौजूदा देहज और घरेलू हिंसा कानूनों की समीक्षा करे।

## सोलापुर में जीबीएस से पहली मौत

# 19 बच्चों सहित 101 एक्टिव मरीज, 1 इंजेक्शन 20 हजार का

पुणे में जीबीएस का पहला मरीज 9 जनवरी को मिला था



एजेंसी पुणे

महाराष्ट्र के सोलापुर में गुडलून-बैरे सिंड्रोम यानी जीबीएस से पहली मौत की बात सातों आई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि शख्स पुणे में काम करता था और अपने घर सोलापुर गया था। उसके गुडलून-बैरे सिंड्रोम से पीड़ित होने का संदेह था। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 26 जनवरी तक जीबीएस के 101 एक्टिव मरीज हैं। इसमें पुणे से 81 मरीज, पिंपरी चिंचवड से 14 और 6 मरीज अन्य जिलों से हैं। इनमें 68 पुरुष और 33 महिला मरीज हैं। पुणे में 16 मरीज वेंटिलेटर पर हैं।

### केंद्र ने स्पेशल टीम भेजी

पुणे में 9 जनवरी को अस्पताल में भर्ती मरीज जीबीएस पॉजिटिव आया था, ये पहला केस था। अब पुणे में एक्टिव केसों की संख्या 101 हो गई है। इनमें 19 मरीज 9 साल से कम उम्र के हैं। 50-80 साल की उम्र वाले 23 मरीज हैं। जीबीएस के मामलों में महाराष्ट्र सरकार की मदद के लिए केंद्र सरकार ने हाई लेवल की स्पेशलिस्ट टीम भेजी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 सदस्य वाली टीम भेजी है। एजेंसी के मुताबिक रिसर्च और दूसरे डिपार्टमेंट की स्पेशलिस्ट टीम काउंट लेवल पर काम कर रही है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की मदद के लिए केंद्र सरकार ने हाई लेवल की स्पेशलिस्ट टीम भेजी है। एजेंसी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 सदस्य वाली टीम भेजी है। एजेंसी के मुताबिक रिसर्च और दूसरे डिपार्टमेंट की स्पेशलिस्ट टीम काउंट लेवल पर काम कर रही है।

## एडीआर: 5 साल में 74% घटी सबसे अमीर विधायक की संपत्ति

एजेंसी नई दिल्ली

दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 के एलान के बाद सियासी सरगमियों जोंरों पर हैं। तमाम सियासी दल चुनाव प्रचार में जोर आजमाइश लगा रहे हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश में 5 फरवरी को मतदान होना है, जबकि 8 फरवरी को मतदान होगा। इस बीच एंसेंसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स (एडीआर) ने सभी राजनीतिक दलों की तरफ से खड़े किए गए उम्मीदवारों का लेखा जोखा प्रकाशित किया है। प्रत्याशियों की तरफ से दिए गए हलफनामों के आधार पर रिपोर्ट में उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि, वित्तीय, शिक्षा, लिंग और अन्य विवरणों का विश्लेषण किया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर इस बार 699 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। इनमें से 278 प्रत्याशी राष्ट्रीय दलों से, 29 राज्य-स्तरीय दलों से, 254 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों से और 138 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार रहे धर्मापात लाकड़ा ने इस बार अपनी संपत्ति 76 करोड़ रुपए घोषित की है। यह पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी 292 करोड़ रुपए की संपत्ति में 74 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

### सबसे ज्यादा करोड़पति



एडीआर के मुताबिक भाजपा के सबसे ज्यादा 68 में से 8 प्रत्याशियों (12 प्रतिशत) की संपत्ति 50 करोड़ से ज्यादा है। कांग्रेस के 70 में से 7 (10 फीसदी) और आम आदमी पार्टी के 70 में से 6 उम्मीदवार (9 प्रतिशत) की संपत्ति 50 करोड़ से ऊपर है। इसके अलावा 138 में से 2 (एक फीसदी) निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 50 करोड़ से अधिक घोषित की है। इस बार चुनाव में उभरे सभी प्रत्याशियों की कुल संपत्ति की बात करें तो यह 3,952 करोड़ रुपए है। इस लिहाज से औसत संपत्ति 5.65 करोड़ रुपए है।

### 132 यानी 19 प्रतिशत उम्मीदवार दामगी

एडीआर ने 699 प्रत्याशियों के हलफनामों का विश्लेषण किया। रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार 132 (19 फीसदी) उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों घोषित किए हैं। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात करें तो तब 672 में से 133 प्रत्याशियों (20 फीसदी) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों घोषित किए थे। यानी इस बार दामगी उम्मीदवारों की संख्या में काफी दर्ज की गई है। 2025 में किस्मत आजमा रहे 81 उम्मीदवारों (12 फीसदी) ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामलों दर्ज किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रमुख दलों में सबसे ज्यादा दामगी उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं।

## अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 84 BNSS देखिए  
मेरे समक्ष परिवार किया गया है कि अभियुक्त वीरेंद्र कुमार पुत्र ईश्वर कुमार मंडोतिया निवासी 48A, G.F फांडव नगर, शादीपुर डिपो, नई दिल्ली ने CC No. 22870/16 U/s 84 BNSS, के अंतर्गत धाना: रंजीत नगर, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त वीरेंद्र कुमार मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त वीरेंद्र कुमार फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि CC No. 22870/16 U/s 84 BNSS, धाना: रंजीत नगर, दिल्ली के उक्त अभियुक्त वीरेंद्र कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवार का उत्तर देने के लिए दिनांक 06.03.2025 को या इससे पहले हाजिर हो।  
आदेशानुसार,  
आकृति महेंद्र, L.D. ACJM,  
DP/960/CD/2025 पश्चिम, कमरा नंबर 145, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

## अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 (2) (ii) CrPC देखिए  
मेरे समक्ष परिवार किया गया है कि अभियुक्त नाम: पार्वती, पत्नी: पवन कुमार, निवासी: बी-97, गली नंबर-03, अंबिका विहार, कपाल नगर, दिल्ली-110094 ने अपराध किया है (या किए जाने का संदेह है) FIR No.159/2021 U/S 33 D. EX. Act के तहत एक मामला धाना कायल नगर, दिल्ली में दर्ज किया गया है और उसके बाद जारी गिरफ्तारी वारंट को यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि उक्त पार्वती नहीं मिली या मेरी संतुष्टि के लिए दिखाया गया है कि आरोपी पार्वती फरार हो गयी है (या उक्त वारंट कि तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रही हैं), इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि अभियुक्त पार्वती से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवार का उत्तर देने के लिए दिनांक 11.03.2025 को या इससे पहले हाजिर हो।  
आदेशानुसार,  
इसरा जेडी  
जेएमएफसी-04, कमरा नंबर-64,  
चौथी मंजिल, उत्तर पूर्व जिला  
कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली

## अलंकित लिमिटेड

अलंकित लिमिटेड  
CIN: L174900DL1989PLC036860  
पंजीकृत कार्यालय 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, अंबेडकर नगर, नई दिल्ली-110055  
वेबसाइट: www.alankit.in निवेशकों के लिए ईमेल: investor@alankit.com  
टेलीफोन नं.: 011-42541234 / 904  
सूचना  
(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

विषय: निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण के डीमैट खाते में कंपनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण  
यह नोटिस कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया गया है, जिसे निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (निेशा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण एवं वापसी) नियम, 2016 (नियम) के साथ पढ़ा जाता है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

अधिनियम की धारा 124(6) में प्रावधान है कि जिन शेयरों के संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि के नाम पर हस्तांतरित किया जाएगा।

नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को, उनके नवीनतम उपलब्ध पता पर, उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित किया है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 (अंतिमित लाभांश) और उसके बाद के लिए अपने लाभांश का दावा नहीं किया है।

कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों का विवरण उनके फॉलियो नंबर या डीपी आईसी/क्लाइंट आईडी और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (प्राधिकरण) के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या के साथ अपनी वेबसाइट www.alankit.in पर अपलोड किया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वेबसाइट पर जाकर, भुगतान न गए लाभांश और प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों का विवरण सत्यापित करें।

इस संबंध में, संबंधित सदस्य कृपया निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:  
क) मौखिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य, जिनके इक्विटी शेयर प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी नियमों के अनुसार प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा रखे गए मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः ही रद्द हो जाएंगे और उन्हें गैर-परकाम्य माना जाएगा।  
ख) डीमैट रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्य, जिनके इक्विटी शेयर प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी प्राधिकरण के डीमैट खाते के पक्ष में शेयरों के हस्तांतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करनी। शेयरधारक यह भी ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण को प्राधिकरण के डीमैट खाते में इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा शेष प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में स्थानांतरित किया जाएगा।

शेयरधारक ध्यान दें कि दावा न किए गए लाभांश और प्राधिकरण के आईईपीएफ प्राधिकरण/डीमैट खाते में हस्तांतरित कर देंगे। यह ध्यान देने के लिए कि संबंधित शेयरधारक निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन करके और फॉर्म आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों की मौखिक प्रतियां कंपनी के नोडल अधिकारी को भेजकर आईईपीएफ प्राधिकरण से शेयरों और लाभांश का दावा कर सकते हैं। यदि शेयरधारकों को बिना वस्तु और निगमों पर कोई प्रश्न/स्पष्टीकरण चाहिए, तो वे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट अलंकित असाइटमेंट लिमिटेड से अलंकित हाउस, 4/2, डंबेदवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली-11005, दूरभाष संख्या 011 4254 1100यु ई-मेल आईडी: jksingla@alankit.com पर संपर्क कर सकते हैं।

अलंकित लिमिटेड के लिए  
हस्ता/—  
अंकित अयवाल  
प्रबंध निदेशक  
दिनांक: 27 जनवरी, 2025  
स्थान: नई दिल्ली